

EASTERN RAILWAY

Serial Number: 88/2017

No. CPO/SC/SAS/Pol / Pt.II

Kolkata, the 30th Aug., 2017.

ALL CONCERNED

Sub: Recruitment of sportspersons on Zonal Railways/ Production Units against Sports Quota.

Enclosed please find herewith the copy of Railway Board's letter No. 2015/E(Sports)/4(1)/11 dated 31/07/2017 (RBE No. 80/2017 – Clarification/Corrigendum No. 81) on the subject mentioned matter.

In this regard it may be mentioned that, copy of Railway Board's earlier letter dated 25/05/2016, as referred in Board's present letter, were communicated to all concerned vide CPO/CCC's Serial No. 58/2016.

The above letter is forwarded herewith for information, guidance and necessary action please.

..

(S. Chakraborty)
Sr. Personnel Officer/ BGB
for Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. 2015/E(Sports)/4(1)/11 dated 31/07/2017 (RBE No. 80/2017 – Clarification/Corrigendum No. 81) addressed to GM(P) All Zonal Railways & Others.

FR विषय: Recruitment of sportspersons on Zonal Railways/ Production Units against Sports Quota.

सन्दर्भ: Board's letter of even number dated 25.05.2016.

Attention is invited to Board's letter of even number dated 25.05.2016 wherein it was decided that the Group 'D' quota allotted for recruitment of sportspersons in Grade Pay Rs. 1800/- may be frozen for the year 2016-17.

It was decided in the Meeting of Presidents and Secretaries of Zonal Railways Sports Association's with RSPB held in Rail Bhawan on 08.05.2017 that the Freeze on Recruitment of sports persons in GP Rs.1800 will continue during the year 2017-18 also. During the meeting certain Units had raised the issue of non availability of vacancies in Group 'C' and requested for recruitment in Group 'D' to be introduced in such case.

It has been decided that while freeze of Recruitment under sports quota in Grade Pay Rs.1800/- will continue in 2017-18 also, in case of non availability of vacancies in Group 'C' in any Production Unit, they can approach Railway Board with their proposal to recruit sportspersons in erstwhile Group 'D' category against open advertisement with full justification with recommendation of their General Managers.

(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director, Estt.(Sports)

पूर्व रेलवे

सं. सी पी ओ/ एस सी/एस ए एस/ पोल/ पार्ट-II

कोलकाता, दिनांक 30/अगस्त 2017

सर्व संबंधितविषय : खेल, कूद कोटे के संबंध में क्षेत्रीय रेलों/ उत्पादन इकाइयों में खिलाड़ियों की भर्ती ।

उपर्युक्त विषयक मामले पर रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2015/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/II दिनांक 31.07.2017 (आर बी ई सं.80/2017 स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं.-81) की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न की जाती है ।

इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि रेलवे बोर्ड के पूर्ववर्ती पत्र दिनांक 25.05.2016, बोर्ड के वर्तमान पत्र में यथा संदर्भित, की प्रतिलिपि मुकाधि /कोलकाता के क्रम सं. 58/2016 के तहत सर्व संबंधित को प्रेषित किए गए थे।

उपर्युक्त पत्र सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाती है ।

एस. चक्रवर्ती
(एस. चक्रवर्ती) 30/8/17

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ बी जी बी
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

महाप्रबंधक (कार्मिक) सभी क्षेत्रीय रेलों एवं अन्य को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2015/ ई (स्पोर्ट्स) 4(1)/ II दिनांक 31.07.2017(आर बी ई सं.-80/2017- स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं.-81) की प्रतिलिपि।

विषय : खेलकूद कोटे के संबंध में क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों में खिलाड़ियों की भर्ती

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 25.05.2016 का समसंख्यक पत्र ।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 25.05.2016 के समसंख्यक पत्र की ओर दिलाया जाता है जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि ग्रेड पे 1800/-रूपए में खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आबंटित ग्रुप 'डी' कोटा का वर्ष 2016-17 के लिए स्थगित किया जाए।

08.05.2017 को रेल भवन में क्षेत्रीय रेलवे खेलकूद एसोसिएशन के अध्यक्षों तथा सचिवों की आरएसपीवी के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ग्रेड पे 1800/रूपए में खिलाड़ियों की भर्ती पर लगी रोक वर्ष 2017-18 के दौरान भी जारी रहेगी । बैठक के दौरान कुछ इकाइयों ने ग्रुप 'सी' में रिक्तियों के उपलब्ध न होने का मुद्दा उठाया था तथा ऐसे मामले में ग्रुप 'डी' में भर्ती करने का अनुरोध किया गया ।

यह निर्णय लिया गया है कि ग्रेड पे 1800/रूपए में खेलकूद कोटा के अंतर्गत खिलाड़ियों की भर्ती पर लगी रोक 2017-18 में भी जारी रहेगी, किसी उत्पादन इकाई में ग्रुप 'सी' में रिक्तियों के उपलब्ध न होने पर वे अपने महाप्रबंधकों की सिफारिश पर पूर्ण औचित्य देते हुए खुले विज्ञापन के माध्यम से पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कोटि में खिलाड़ियों की भर्ती के लिए अपने प्रस्ताव के साथ रेलवे बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं ।

(भास्कर राय चौधरी)
उप निदेशक, स्था.(स्पोर्ट्स)